

नंबर  
अधिवक्ता का

# यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

2/55/2022

तारीख रजु. 25/2/22

रमन बनाम सतीश वर्मा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तुपील में जारी हुए
25.02.2022	<p>वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है।</p> <p>अतः अप्रार्थीगण को जयें अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 1045, 1046, 1047, वाके ग्रम अंगराया व आरजी ख0 न0 1146, 1150, 1153, 1157, 956, 969, वाके ग्राम कालवाडी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायें रखे। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिए कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें।</p> <p>अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत कोइ उज्र हो तो दिनांक 21.03.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे।अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 21.03.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो।</p>	

21/3/22

उपखण्ड अधिकारी  
कठूमर (अलवर)

वकील सायल

25/2/22

24/5/22

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अदालत की न

21/4/22

क्याकल/ फेरा हूँ) क्याकल/ कान अल वाद के साथ  
पेरा किया, वहील जमी के फाउण्ड पेरा कल  
अपने कल के इही स्ट्रेज पर खपरिन काकल  
लिया अल जमीन पर ही वही-चलाके का मिश्रित  
किमा। अल धाउण्ड अल पर वहील जमीन के  
धाउण्ड के आधार पर इही जेन पर खपरिन किया  
जाता है। क्याकल/ में मल अमाउंट देकर नकद के कल  
है। कल नकदील अल वाद के साथ मिलेन < है।

खुनाम

उपस्थित अधिकारी  
कठमर (अलवर)

*(Handwritten signatures and marks)*